46
31.1.14

18

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा

प्रकरण क्र................. /अपील/2014

श्री...एस.एल.सोनी... एड. द्वारा आज दिनांक 31.1.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/- A. 643-II/14

1—श्रीमती सरोज अग्रवाल पुत्री श्री राममनोहर अग्रवाल निवासी लालता चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2— श्रीमती ज्ञानवती सिह चौहान पुत्री श्री शिवमूर्ति सिंह निवासी आकाश गंगा नगर पतेरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...................... अपीलार्थीगण

बनाम

1— शासन म0प्र0 द्वारा उपपंजीयक सतना जिला सतना म0प्र0

2—विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल तनय श्री हीरालाल अग्रवाल

3— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल तनय श्री हीरालाल अग्रवाल

दोनो निवासी विन्ध्य चेम्बर आफ कामर्स के बगल से सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 395/अपील/2012—13 आदेश दि0 28/06/13 अपील अन्तर्गत धारा 47 (क)उपधारा 6 भारतीय स्टाम्प अधिनियम ।

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में अपीलार्थीगण निम्नलिखित अपील प्रस्तुत कर विनयी है :—

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/केता ने उत्तरवादी कमाक 2, 3 /विकेता से उनके भूमि स्वामी स्वत्व की आराजी खसरा नम्बर 2/3, 5, 6/3, 115 कुल किता 4 कुल रकवा 7.388 हे0 भूमि कुल 7,29,600/—रू0 में खरीद कर व विकय का दस्तावेज लिखाकर उपपंजीयक

/2/

31.1.2014
S. L. Soni
Advocate
Dhawari, Gali No.-1
SATNA (M.P.)

R 643-II /2014.

(1)	(2)	(3)
17/7/15	आवेदक अभिभावक श्री एस.के. शर्मा उपस्थित। अनावेदक 1 स्वयं की अधिवक्ता श्री अरुण शर्मा उपस्थित। अनावेदक 2 एवं 3 की ओर से श्री [illegible] प्रकाश गुप्ता अभिभावक उपस्थित। आवेदक अभि० द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक अभि० ने आज एक आवेदन धारा 47(5) उपधारा-6 के अंतर्गत स्वयं-शपथ० का पेश कर अपील वापस लिये का अनुरोध किया। अतः आवेदक अभिभावक के अनुरोध (लिखित) पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। सदस्य	17.7.15 प्रकरण वापसी की स्थिति में आगे नहीं चलाया जाना चाहिए।

उनिशाक्षेमुरी–70–18–5–2012–फासे–1,00,000 प्रपत्र.